

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 2065/2024

दिनांक : 07.06.2024


श्री परवेज अहमद (RJ00662), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्रकरण), जालोर को निम्न अवकाश स्वीकृत किए जाते हैं-

1. दिनांक 03.02.2024 से 16.02.2024 तक 14 दिनों का परावर्तित अवकाश ।
2. दिनांक 17.02.2024 का एक दिवस का उपार्जित अवकाश दिनांक 18.02.2024 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित।

श्री अहमद की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्रकरण), जालोर के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से,



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/30/2011/ 4749

दिनांक : 07.06.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर को उनके पत्रांक 2082 दिनांक 24.04.2024 के सन्दर्भ में ।
3. श्री परवेज अहमद (RJ00662), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्रकरण), जालोर ।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.प्रकरण), जालोर ।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर ।


सहायक रजिस्ट्रार